कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (म0प्र0)

फोन नं0–07792–299180, ई–मेल–dcourtnar-mp@nic.in

//अनुपयोगी सामग्रियों की नीलामी विज्ञप्ति//

कमांक–496/नीलामी/2023 **नरसिंहपुर, दिनांक–16.02.2023**

सर्वसाधारण को इस नीलामी विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के नजारत अनुभाग की अनुपयोगी सामग्रियों जैसी स्थिति में है, को निष्प्रयोजित राशि रूपये 14,950/– चौदह हजार नौ सौ पचास रूपये मात्र में दिनांक–21.02.2023 को प्रातः 11 बजे खुली निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाना है । उक्त नीलामी में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के नजारत अनुभाग में, राशि रूपये 3000/–तीन हजार रूपये मात्र नगद अमानत राशि के रूप में जमा कर भाग लिया जा सकता है।

अनुपयोगी सामग्रियों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

क.	सामग्री विवरण		संख्या	मूल्य रूपये में
1	लकड़ी एवं लोहे की सामग्री	कुर्सी रिवाल्विंग, कुर्सी लकडी, लोहे की कुर्सी, लोहे की बेंच, लकड़ी की बेंच, कूलर स्टेंड एवं ग्रास कटर	36 नग	14,950/–
	कुल राशि– तेतीस हजार पचास रूपये मात्र			**14950/–**

नीलामी हेतु निविदा की शर्तें निम्नानुसार हैः–

1. अनुपयोगी सामग्रियों का न्यूनतम ऑफसेट मूल्य रूपये 14,950/– चौदह हजार नौ सौ पचास रू (शासकीय बोली) नियत है।

2. उक्त अनुपयोगी/अपलेखित शासकीय सामग्रियों की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु अमानत राशि रूपये 3000/–तीन हजार रू मात्र नगद राशि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के नजारत अनुभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी।

3. अमानत की जमा नगद राशि नीलामी की समाप्ति पर, असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति /संस्था को उनके द्वारा लगायी गई बोली/स्वीकृत की गई पूरी राशि जमा करने के पश्चात् लौटाया जावेगा।

4. किसी भी बोली को बिना कारण बताये, पूर्ण रूप से स्वीकार करने/अस्वीकार करने/आंशिक रूप से स्वीकार करने/निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार सर्वथा "विभागीय नीलाम समिति" कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर को प्राप्त होगा।

5. नीलामी के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।

6. अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् अनुपयोगी शासकीय सामग्रियां क्रेता को प्रदान की जावेगी

7. अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् तत्काल ही बोली की संपूर्ण राशि ऑनलाईन पेमेंट जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के नाम से शासकीय मद में चालान के माध्यम से जमा करवाकर अनुपयोगी शासकीय सामग्रियों को स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात कर दी जावेगी।

8. संबंधित अनुपयोगी शासकीय सामग्रियां भौतिक निरीक्षण हेतु नवीन जिला न्यायालय भवन परिसर नरसिंहपुर में उपलब्ध है इस हेतु जिला नाजिर/नायब नाजिर से कार्यालयीन दिनांक/समय में संपर्क किया जा सकता है।

9. बोलीकर्ताओं द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर अनुपयोगी शासकीय सामग्रियों को क्रय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में नीलामी संबंधी संपूर्ण शर्तें स्वीकार कर ली गई हैं, ऐसा माना जावेगा।

10. अनुपयोगी शासकीय सामग्रियों का मिलान कर प्राप्त कर प्राप्ति अभिस्वीकृति नजारत अनुभाग नरसिंहपुर को सौंपे जाने के पश्चात इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति क्रय संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त मान्य नहीं की जावेगी।

11. उपरोक्त नियमों की शर्तों का शिथिलिकरण स्थापना पर गठित विभागीय नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

Sd/-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नरसिंहपुर

पृष्ठा.क.–497 /नीलामी/2023 **नरसिंहपुर, दिनांक–16.02.23**

प्रतिलिपि –

1– जिला न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय मप्र जबलपुर के पोर्टल टेंडर पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

2– जनसंपर्क संचालनालय भोपाल की ओर नीलामी इश्तेहार प्रसारण हेतु प्रेषित।

3– जिला न्यायालय/कलेक्टर कार्यालय/अधिवक्ता संघ नरसिंहपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

4– बस स्टैण्ड/रेल्वे स्टेशन एवं स्थानीय बाजार में चस्पा किये जाने हेतु।

5– अध्यक्ष, नीलामी समिति/विशेष न्यायाधीश (एट्रो) नरसिंहपुर की ओर प्रेषित।

6– सदस्य, नीलामी समिति/प्रथम अति0 जिला न्यायाधीश नरसिंहपुर की ओर प्रेषित।

7– सदस्य, नीलामी समिति/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नरसिंहपुर की ओर प्रेषित।

8– प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग नरसिंहपुर की ओर आवश्यक एवं योग्य कार्यवाही हेतु प्रेषित।

16.02.2023

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नरसिंहपुर